

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
भू-अर्जन निदेशालय
पटना, बिहार
अधिसूचना

दिनांक.....

पत्रांक.....

चूंकि बिहार राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि ग्राम- नवादा थाना-गोपालगंज थाना नं०-04 परागना-मझवां जिला-गोपालगंज में सार्वजनिक प्रयोजनार्थ अर्थात् सम्पर्क सड़क निर्माण हेतु सरकारी खर्च पर यानि बिहार सरकार के खर्च पर सरकार द्वारा भूमि का अर्जन अपेक्षित है इसलिए इसके द्वारा अधिसूचना किया जाता है कि उपर्युक्त परियोजना के लिए ग्राम-नवादा में भूमि का एक टुकड़ा अपेक्षित है जो मानक माप से कमोवेश 9.37 एकड़ के बराबर होता है, जिसका खेसरा नं०- निम्न प्रकार है।

342अंश, 343अंश, 345अंश, 346अंश, 336अंश, 347अंश, 306अंश, 882अंश, 624अंश, 617अंश, 618अंश, 625अंश, 623अंश, 620अंश, 622अंश, 629अंश, 621अंश, 608अंश, 631अंश, 632अंश, 607अंश, 606अंश, 605अंश, 603अंश, 600अंश, 604अंश, 596अंश, 595अंश, 594अंश, 593अंश, 587अंश, 585अंश, 586अंश, 583अंश, 584अंश, 575अंश, 574अंश, 573अंश, 571अंश, 570अंश, 569अंश, 568अंश, 567अंश।

अर्जनाधीन भूमि की चौहदी

उत्तर - बाउन्डी गम्हरीयां थाना नं०-03,

पूरुब - 569 पूर्ण, 570 पूर्ण, 571 पूर्ण, 573 पूर्ण, 574 पूर्ण, 584 पूर्ण, 585 पूर्ण, 586 पूर्ण, 588 पूर्ण, 587 पूर्ण, 593 पूर्ण, 594 पूर्ण, 605 पूर्ण, 607 पूर्ण, 632 पूर्ण, 631 पूर्ण, 621 पूर्ण, 622 पूर्ण, 629 पूर्ण, 624 पूर्ण, 625 पूर्ण, 618 पूर्ण, 617 पूर्ण, 409 पूर्ण, 336 पूर्ण, 337 पूर्ण, 347 पूर्ण, 341 पूर्ण, ।

दक्षिण - बाउन्डी सीवाना विशुनपुर थाना नं०-6।


पश्चिम- 342 पूर्ण, 341 पूर्ण, 337 पूर्ण, 356 पूर्ण, 334 पूर्ण, 409 पूर्ण, 617 पूर्ण, 618 पूर्ण, 620 पूर्ण, 608 पूर्ण, 607 पूर्ण, 606 पूर्ण, 603 पूर्ण, 600 पूर्ण, 596 पूर्ण, 595 पूर्ण, 585 पूर्ण, 583 पूर्ण, 584 पूर्ण, 575 पूर्ण, 574 पूर्ण, 570 पूर्ण, 568 पूर्ण

इस अधिसूचना को भू-अर्जन अधिनियम सन् 1894 यथा संशोधित सन् 1984 की धारा 4 के उपबन्धों के अधीन उन सभी व्यक्तियों के लिए जारी किया जाता है जिनका इससे संबंध है। भूमि का नक्शा जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, गोपालगंज के कार्यालय में देखा जा सकता है।

बिहार सरकार जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, गोपालगंज एवं उनके कर्मचारी तथा इस परियोजना के आरम्भिक अनुसंधान में तत् समय लगे बिहार सरकार के पदाधिकारी एवं कर्मचारीयों को प्राधिकृत करती है कि वे भूमि पर प्रवेश कर उसका सर्वेक्षण कर तथा उक्त अधिनियम की धारा-4 की उपधारा (2) यथा उपबंधित तथा विनिर्दिष्ट अपने कार्य के समुचित निष्पादन के लिए अपेक्षित अन्य सभी कार्य करेंगे।

चूंकि बिहार राज्यपाल की राय है कि उक्त भूमि का अर्जन तुरन्त आवश्यक है, इसलिए उक्त अधिनियम की धारा-17 की उपधारा-4 के अधीन निर्देश दिया जाता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (A) के उपबंध उक्त जमीन पर लागू नहीं होंगे।

बिहार राज्यपाल के आदेश से


समाहता
गोपालगंज।

३०/-
सरकार के सचिव
बिहार पटना।

ज्ञापांक सं०-14/डी०एल०ए० गोपालगंज (पुल)-62/2012-29744/रा०, पटना-15, दिनांक-18/12/2012

- प्रतिलिपि 1. निदेशक, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, बिहार, पटना को प्रारूप की तीन प्रतिया को दो दैनिक समाचार पत्रों से जिसमें एक स्थानीय भाषा में हो, प्रकाशित करने एवं प्रकाशित संस्करण की प्रति जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, गोपालगंज को उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि 2. प्रभारी उप समाहर्ता, जिला गजट समाहरणालय शाखा, गोपालगंज को जिला गजट के अगले असाधारण अंक में प्रकाशित करने एवं प्रकाशित जिला गजट की अतिरिक्त 10-10 प्रतियों इस विभाग एवं जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, गोपालगंज को शीघ्र उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि 3. आयुक्त, सारण प्रमंडल, छपरा एवं समाहर्ता, गोपालगंज को सूचनार्थ प्रेषित।

6w
17/12/12
(नरोत्तम प्रसाद सिंह)
सरकार के अवर सचिव।

08